संख्या-138/2025/2212/22-2-2024-17(472)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 19 फरवरी, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आस मौहम्मद पुत्र खुर्शीद, निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-37784/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.12.2024), दिनांक 12.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आस मौहम्मद पुत्र खुर्शीद, जो मौ0 मौसमखानी, कस्बा व थाना- किठौर, जनपद-मेरठ का निवासी है। पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 09.02.1989 को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, तमन्चों व बन्दूकों से गोली मारकर 07 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-241/1989, भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149, 449 में मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनाँक 28.08.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.03.2024 तक 19 वर्ष 04 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 11 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज में जघन्य प्रकृति का होने, बन्दी द्वारा अवसर मिलने पर पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने पर समाज में शान्ति व्यवस्था बनी रहेगी, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा अनुपयुक्त होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

शासनादेश संख्या-1292/22-2-2012-19जी/2012, दिनांक 02.11.2012 में दी गई व्यवस्था के प्रक्रिया के अनुसार प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बन्दी आस मौहम्मद पुत्र खुर्शीद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 09.02.1989 को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, तमन्चों व बन्दूकों से गोली मारकर 07 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी आस मौहम्मद पुत्र खुर्शीद की फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

-3 अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार ,आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आस मौहम्मद (बन्दी संख्या-12866) पुत्र खुर्शीद, निवासी जनपद-मेरठ की यू0पी 0प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938-की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(शिव गोपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-138/2025/2212(1)/22-2-2024-17(472)/2024,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी सं0-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-11-2024 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0-433/2024 ताहिर व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सन्दर्भ में
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- /2025/2212/22-2-2024-17(472)/2024

दिनांकः फरवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आस मौहम्मद पुत्र खुर्शीद, जो मौ0 मौसमखानी, कस्बा व थाना- किठौर, जनपद-मेरठ का निवासी है। पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 09.02.1989 को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, तमन्चों व बन्दूकों से गोली मारकर 07 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-241/1989, भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149, 449 में मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनाँक 28.08.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.03.2024 तक 19 वर्ष 04 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 11 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज में जघन्य प्रकृति का होने, बन्दी द्वारा अवसर मिलने पर पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने पर समाज में शान्ति व्यवस्था बनी रहेगी, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा अनुपयुक्त होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

शासनादेश संख्या-1292/22-2-2012-19जी/2012, दिनांक 02.11.2012 में दी गई व्यवस्था के प्रक्रिया के अनुसार प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बन्दी आस मौहम्मद पुत्र खुर्शीद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 09.02.1989 को बन्दी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, तमन्चों व बन्दूकों से गोली मारकर 07 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी आस मौहम्मद पुत्र खुर्शीद की फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

(शिव गोपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-01/2024/2366/22-2-2023-17(1040)/2023

दिनांक 08 जनवरी, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू पाण्डेय पुत्र श्री मोतीराम पाण्डेय, देवीपुर, थाना-माधौटाण्डा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। दिनांक 02.02.2003 को बंदी ने अपने 02 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर फिरौती वसूल करने के उददेश्य से नरेन्द्र जीत सिंह गोल्डी नामक व्यक्ति का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-33/2004 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 364,201 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03, पीलीभीत के आदेश दिनांक 11.02.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.07.2018 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया, द्वारा दिनांक 18.04.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 07 माह 09 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 04 माह 01 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.02.2023 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक 02.02.2003 को अपने 02 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर फिरौती वसूल करने के उददेश्य से नरेन्द्र जीत सिंह गोल्डी नामक व्यकित का अपहरण कर उसकी हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पप्पू पाण्डेय पुत्र श्री मोतीराम पाण्डेय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in